


गतिहीन स्फीति की स्थिति है।

गतिहीन स्फीति के नियन्त्रण के उपाय (Measures to Control Stagflation) — वर्तमान आर्थिक नीतियों के निर्धारकों एवं अर्थशास्त्रियों के सामने इस परस्पर-विरोधी स्थिति का समाधान एक चुनौती है। प्रतिष्ठित मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के पास गतिहीन स्फीति या मुद्रा-स्फीति के साथ मन्दी जैसी समस्या का कोई समाधान नहीं है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुभव से पता चलता है कि गतिहीन स्फीति को प्रतिबन्धात्मक अथवा विस्तारशील उपायों से नियन्त्रित किया जायेगा तो वह बढ़ेगा जैसा कि संलग्न चित्र में स्पष्ट किया गया है।



(i) मान लीजिए कि प्रतिबन्धात्मक माँग, प्रतिबन्धित मौद्रिक एवं राजकोषीय उपाय अपनाये जाते हैं तो वे समस्त माँग को घटा देंगे और नया माँग वक्र D_1 पूर्ति वक्र S_1 को पुराने कीमत-स्तर OP_0 पर काटेगा।

(ii) इस नीति से रोजगार का स्तर और गिरकर ON_0 पर आ जाता है और इसके साथ ही कीमत-स्तर भी OP_1 से गिरकर OP_0 हो जाती है।

(iii) इस प्रकार इस तरह की नीति से N_1N_0 में बेरोजगारी बढ़ती है और P_1P_0 मात्रा में स्फीति घट जाती है। इस प्रकार यह नीति गतिहीन स्फीति को रोकने में असमर्थ है।

(iv) दूसरी ओर, यदि विस्तारशील माँग, प्रतिबन्धित मौद्रिक एवं राजकोषीय रीतियाँ अपनायी जाती हैं तो वे समस्त माँग को बढ़ा देंगी जिससे नया माँग वक्र D_2 पूर्ति वक्र S_1 को E_2 पर पुराने रोजगार स्तर ON पर काटेगा।

(v) इसका परिणाम यह होता है कि रोजगार स्तर ON_1 से बढ़कर ON पर चला जाता है। इस प्रकार यह नीति भी गतिहीन स्फीति को रोकने में असमर्थ है क्योंकि यह अधिक रोजगार के साथ अधिक स्फीति को उत्पन्न करती है।

गतिहीन स्फीति को नियन्त्रित करने के लिए उपर्युक्त के अतिरिक्त जो अन्य सुझाव दिये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :

(i) **आय नीति (Income Policy)**—गतिहीन स्फीति की समस्या के समाधान के लिए कर पर आधारित आय नीति का भी सुझाव दिया जाता है। इस सुझाव के अनुसार निगमों की आय पर एक अधिभार लगाया जाना चाहिए। जब भी किन्हीं कर्मचारियों की मजदूरी एवं वेतन में वृद्धि करें तो उस पर अधिभार लगाया जाना चाहिए। दूसरी ओर, यदि कोई निगम सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी वृद्धि के मापदण्ड से कम मजदूरी वृद्धि रखे तो उसे कर में कुछ राहत दी जाये। अर्थशास्त्रियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर पर आधारित आय नीति का उद्देश्य सरकार की कर प्राप्तियों में वृद्धि करना नहीं है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार को यदि अधिभार एवं कम मजदूरी देने वाले निगमों को दिये जाने वाले भुगतान से जो भी लाभ हो, उसे निगमों के करों को कम करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार इस सुझाव का उद्देश्य यह है कि निगमों के मालिक श्रमिकों की मजदूरी में अधिक वृद्धि न करें। यदि इस दिशा में सरकार को सफलता प्राप्त हो जाती है तो स्फीति पर कुछ सीमा तक नियन्त्रण रखा जा सकता है।

यह सुझाव नया नहीं है, परन्तु इसकी सफलता संदिग्ध है। श्रमिक संघों का इतिहास एवं मजदूरी वृद्धि के उदाहरण इसके प्रमाण हैं।

(ii) **करारोपण सम्बन्धी उपाय (Taxation Measures)**—गतिहीन स्फीति को दूर करने के लिए यह भी सुझाव दिया जाता है कि व्यक्तिगत तथा व्यापार कर घटा दिये जायें क्योंकि वे श्रम लागतें घटाते हैं और श्रम के लिए माँग बढ़ा देते हैं। इस प्रकार बिक्री कर व उत्पादन शुल्क घटा दिये जायें ताकि कीमत-स्तर को बढ़ाने से रोका जा सके। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि राज्य तथा स्थानीय बिक्री कर और उत्पादन शुल्क घटाने को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करे।

(iii) **अन्य सुझाव (Other Suggestions)**—(अ) न्यूनतम मजदूरी बिल्कुल न बढ़ायी जाये। (ब) नयी आय नीति चालू करने की जरूरत है। आय नीतियों का एक महत्वपूर्ण आय स्तम्भ यह है कि मजदूरी की वृद्धि को उत्पादकता वृद्धि से सम्बद्ध किया जाय। (स) उत्पादन वृद्धि के लिए आयातित साधनों पर निर्भर न रहकर देश के ही साधनों का पर्याप्त उपलब्ध किया जाना चाहिए।